# उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल

## रिट याचिका सं0–एस0एस0–1739/2021

अंकुश काण्डपाल और अन्य .....याचिकाकर्ता

**बनाम**

उत्तराखण्ड राज्य और अन्य .....उत्तरदाता

अधिवक्ता–श्री एस0एस0 यादव, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता
श्री सचिन मोहन सिंह मेहरा, उत्तराखण्ड राज्य के संक्षिप्त धारक

**माननीय शरद कुमार शर्मा, ज.**

उत्तराखण्ड राज्य ने भारत के संविधान के अनुच्छेद–309 के प्रावधान के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड सरकार (प्राथमिक शिक्षा) शिक्षक (पांचवा संशोधन) सेवा नियम, 2018 में संशोधन किया था। उक्त संशोधन के तहत, नियम 15 में संशोधन किया गया था और इस प्रकार उक्त संशोधन दिनांकित–14.12.2018 को उपान्तरित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी, जो इस प्रकार है–

''नियम 15 7. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये, वर्तमान नियम 15 के उपनियम (3) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जाएगा अर्थात–

| **स्तम्भ–1** | **स्तम्भ–2** |
|---|---|
| (3) उपनियम (1) के अधीन तैयार की गयी सूची में अभ्यर्थी के नाम उनके द्वारा बी0टी0सी0 अथवा डी0एल0एड0 प्रशिक्षण प्रमाण पत्र परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत का 60 प्रतिशत तथा टी0ई0टी0–1 परीक्षा में प्राप्त प्राप्ताकों के प्रतिशत का 40 प्रतिशत के योग के अवरोही क्रम में रखे जायेंगे। | (3) उपनियम (1) के अधीन तैयार की गयी सूची में अभ्यर्थी के नाम उसके द्वारा उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा–1/केन्द्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा–1 में प्राप्त प्राप्तांकों की श्रेष्ठता के अवरोही क्रम में रखे जायेंगे।<br><br>परन्तु यह और कि दो या दो अधिक अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता सूची में अंक समान होने की स्थिति में अधिक आयु वाले अभ्यर्थियों का नाम सूची में उपर रखा जाएगा। यदि उक्त में भी दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों की जन्मतिथि समान हो तो वर्णमाला (अंग्रेजी) के क्रम में सूची में नाम रखा जाएगा। |

15(ख) मूल नियमावली मे नियम 15(5) के पश्चात उपनियम (6) निम्नवत अन्तः स्थापित कर दिया जाएगा अर्थात–

**(6) नियमावली के नियम 9 (क) के अनुसार योग्यताधारी अभ्यर्थी से प्राप्त आवेदन पत्रों पर प्रथम वरीयता द्विवर्षीय डी0एल0एड0/चार वर्षीय बी0एल0एड0 प्रशिक्षत अभ्यर्थियों को दी जायेगी। डी0एल0एड0 प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में ही बी0एड0/शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) प्रशिक्षण योग्यताधारी अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र पर विचार किया जाएगा,**

परन्तु यह कि ऐसे शिक्षक जो पूर्व में समान पद पर कार्यरत है है, (अर्थात् राज्यान्तर्गत किसी राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर कार्यरत) वे समान पद पर पुनः अभ्यर्थन (Apply) हेतु अर्ह नहीं होंगे।''

2. वास्तव में संशोधन, जिसे दिनांक–14.12.2018 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा लागू करने योग्य कानून बनाया गया था और जैसे ही इसे अधिसूचित किया जाता है, संशोधन सार्वजनिक दायरे में आ जाता है। इसलिए, राज्य द्वारा राजपत्र अधिसूचना के प्रकाशन के परिणामस्वरूप, कोई व्यक्ति यह तर्क देने की स्वतंत्रता नहीं रखता कि इस प्रकार नियम 15 के तहत किये गये संशोधन में उम्मीदवारों द्वारा आयोजित योग्यताओं के आधार पर नियुक्ति के लिए वरीयता देने के वर्गीकरण का प्रावधान है, जिन्होंने दिनांक–20.11.2020 को उत्तरदाता द्वारा जारी किये गये विज्ञापन का जवाब दिया है, उन्हें यह दलील देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि यह याचिकाकर्ता या ऐसे किसी अन्य उम्मीदवार की जानकारी में नहीं है जिसने राज्य द्वारा जारी किये गये विज्ञापन का स्वयं जवाब दिया हो। वर्तमान मामले में उत्तरदाता सं0–2 ने विज्ञापन सं0–प्राथमिक शिक्षा 2–357/विज्ञप्ति दिनांक–2020–2021 दिनांक–19.12.2020 के रूप में एक प्रकाशन जारी किया था। विज्ञापन जारी करने के परिणामस्वरूप विज्ञापन की शर्तों के तहत संभावित पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किये गये थे, जिन्हें सम्बन्धित जिलों के विज्ञापन द्वारा रिक्तियों की कुल संख्या के आधार पर सहायक शिक्षक (प्राथमिक विद्यालय) के रूप में भर्ती के लिए विचार किया जाना था।

3. याचिकाकर्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि विभिन्न जिलों के सम्बन्ध में प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार, जहॉ पदों का विज्ञापन किया गया था, वहॉ याचिकाकर्ता ने विज्ञापन का जवाब दिया था। दिनांक–02.12.2021 को आयोजित कांउसलिंग में भाग लेने के उपरान्त याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित अनुतोष की याचना करते हुए इस रिट याचिका को प्राथमिकता दी कि–

i उत्तरदाताओं को डी0एल0एड0 डिप्लोमा धारक जितने भी आवेदनकर्ता हैं, जो नवम्बर, 2020 में प्रकाशित विज्ञापन के अनुसरण में सहायक शिक्षक (प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 5) मे हुई नियुक्तियों के सम्बन्ध में विचार करने हेतु परमादेश प्रकृति की एक रिट जारी करते हुए उत्तरदाताओं को आदेशित/निर्देशित किया जाए।

ii उत्तरदाताओं के विरूद्ध परमादेश प्रकृति की एक रिट जारी करते हुए आदेशित या निदेशित किया जाए कि वर्तमान नियुक्ति प्रक्रिया में तीन रिक्तियॉ याचिका के परिणाम के अधीन रिक्त रखी जाएं।

iii उत्तरदाताओं के विरूद्ध परमादेश प्रकृति की एक रिट जारी करते हुए आदेशित या निदेशित किया जाए कि डी0एड0 डिप्लोमा धारक, जिनका रजिस्ट्रेशन आरसीआई के तहत किया गया है उन सभी अभ्यर्थियों को भी समान स्तर एवं समानता प्रदान की जाए।

iv अन्य कोई ऐसी रिट जो माननीय न्यायालय द्वारा वर्तमान वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जारी की जाए।

v याचिकाकर्ता को हर्जा दिलाया जाए।

4. वास्तव में उपरोक्त वांछित परमादेश की रिट याचिकाकर्ता के मामले को डी एल इ डी के समतुल्य होने के मामले पर विचार करने हेतु मांगी गई है जिसमें उक्त रिट में याचिकाकर्ता द्वारा यह प्रार्थना की गई थी कि वे डिप्लोमा धारक जो सहायक शिक्षक (प्राथमिक) के रूप में नियुक्ति के इच्छुक

है, जिनके पास उक्त योग्यता है उनकी डी एड की योग्यता को डी एल एड की योग्यता के बराबर माना जाय।

5. याचिकाकर्ता का कहना है कि सहायक शिक्षक (प्रारम्भिक विद्यालय) की नियुक्ति में वरीयता देने के लिए उत्तरदाताओं द्वारा किया गया यह वर्गीकरण मनमाना है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन क्योंकि वर्ष 2018 के उक्त संसोधन का अंतिम प्रभाव यह होगा कि जिन याचिकाकर्ताओं के पास डी एड, का डिप्लोमा था वे उत्तरदाताओं द्वारा जारी किये गये विज्ञापन के अनुशरण में पूर्ण समय के लिए नियुक्ति से वंचित हो जायेगें। यह निर्विवादित है कि याचिकाकर्ता चयन प्रक्रिया में आवेदक थे संक्षिप्त धारक द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि दिनांक 02.12.2021 को अपनाई गयी काउसंलिग प्रक्रिया में याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी पर विचार किया गया था लेकिन नियुक्ति देने पर विचार उन शर्तो के अधीन रखा गया जो विज्ञापन के खण्ड 3 में प्रदान की गई है जो वर्ष 2018 मे किये गये संसोधन के अनुरूप है, जिसमें शैक्षणिक योग्यता के आधार पर वरीयता में वर्गीकरण किया गया है। उक्त विज्ञापन का खण्ड 3 निम्न प्रकार है–

''5–योग्यताधारी अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन पत्रों पर प्रथम वरीयता द्विवर्षीय डी0एल0एड0/चार वर्षिय बी0एल0एड0 प्रशिक्षत अभ्यथियों को दी जाएगी। डी0एल0एड0 प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में ही बी0एड0/शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) प्रशिक्षित योग्यताधारी अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र पर विचार किया जाएगा। परन्तु यह कि ऐसे शिक्षक जो पूर्व में समान पद पर कार्यरत हैं, (अर्थात राज्यान्तर्गत किसी राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर कार्यरत) वे पद पर पुनः अभ्यर्थन (Apply) हेतु अर्ह नहीं होंगे।

6. याचिकाकर्ता द्वारा याचिक अनुतोष के समर्थन में यह तर्क दिया गया है कि –

i यह भेदभावपूर्ण है

ii वर्ष 2018 का संसोधन उनकी जानकारी में नहीं था ।

iii उसके द्वारा वर्ष 2018 के संसोधित नियमों को चुनौती देने के लिए अपनी याचिका में संशोधन करने की अनुमति चाही गयी थी।

iv यह कि अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा लम्बित रिट याचिका में तीसरे संशोधन को पहले ही चुनौती दी जा चुकी हैं

7. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा रिट याचिका में याचित अनुतोष के समर्थन में कथन किया है कि वर्ष 2018 में संशोधन भेदभावपूर्ण है तथा इस न्यायालय द्वारा इस कारण स्वीकार नहीं है क्योंकि –

a संशोधन स्वयं मौजूद रिट याचिका में जांच या चुनौती के विषय के रूप में नहीं किया गया था और यह भी सही है क्योंकि यह याचिकाकर्ताओं के कहने पर भी नहीं हो सकता था तब जब कि उन्होंने 20.11.2020 के विज्ञापन के अनुसरण में अपनी उम्मीदवारी बढ़ा दी है।

b विशेष रूप से एक बार जब याचिकाकर्ताओं ने स्वेच्छा से बिना किसी दबाब के सामान्य बोलचाल के तहत उक्त विज्ञापन के आधार पर अपनी उम्मीदवारी बढ़ा दी है। तो यह अनुमान लगाया जाएगा कि याचिकाकर्ताओं को 2018 की अधिसूचना दिनांक 14.12.2018 की जानकारी थी जिसके आधार पर नियमों में संसोधन किया गया था और उन्हें विज्ञापन में प्रदान की गई उन शर्तो की जानकारी थी, जिसके खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने जवाब दिया है।

8. विज्ञापन की शर्तों को प्रस्तुत करने और उनका जवाब देने के बाद, याचिकाकर्ताओं को अब वापस लौटने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और उनके द्वारा इस शर्त पर चुनौती दी जा

सकती है कि वरीयताओं का वर्गीकरण, संभावित शैक्षिक योग्यता के आधार पर किया गया है जिनमें मनचाहे उम्मीदवार हैं और विशेष रूप से तब जब भारत के संविधान का अनुच्छेद 16 अपने आप में एक अपवाद प्रदान करता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 16 आत्यन्तिक प्रकृति का नहीं है और यह उम्मीदवारों को नियुक्ति का प्रस्ताव देते हुए निर्धारित योग्यता प्रदान करने की शर्तो को पूरा करने के लिए राज्य को पर्याप्त शक्ति प्रदान करता है और यह हमेशा नियोक्ता की पंसद है कि वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के तहत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित नियमों के अनुसार योग्यता की अपनी पंसद के अनुसार बेहतर योग्य उम्मीदवारों का चयन करें।

9. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क इस न्यायालय की राय के अनुसार, इस आधार पर भेदभाव के तर्क को बल प्रदान करता है कि यह याचिकाकर्ताओं के पास उपलब्ध योग्यता को याचिकाकर्ता के पास एक अनावश्यक शैक्षिक योग्यता के रूप में प्रस्तुत करने पर प्रभाव डालेगा क्योंकि वे आने वाले पूर्ण समय के लिए नियुक्ति के लिए विचार किये जाने से वंचित रहेंगें क्योंकि वर्ष 2018 के संशोधित प्रावधानों के तहत उन्हें प्राथमिकता दी गई है यह तर्क कि याचिकाकर्ताओं के पास मौजूद योग्यता को निरर्थक बना दिया जाएगा, फिर से एक धारणा है जिसे इस न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है क्योकि विज्ञापन की शर्तों के तहत या लागू संशोधित नियमों की शर्तों के तहत याचिकाकर्ताओं को चयन की आदेशिका में भाग लेने से आत्यन्तिक रूप से वंचित नहीं किया गया था, बल्कि उनके आवेदन आमन्त्रित किये गये थे, जिन पर उन्होंने आवेदन प्रस्तुत किये थे। उनकी नियुक्ति पर विचार किया गया था यहां तक कि उन्हें सूची में शामिल किया गया था। लेकिन संशोधन का प्रभाव केवल यह होगा कि याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को 2018 के संशोधित नियमों के तहत प्रदान की गई प्राथमिकताओं की शर्त के अधीन नियुक्ति के लिए बुलाया जाएगा।

10. सेवा न्यायशास्त्र के तहत सार्वजनिक पद जो विज्ञापित किये जाते है उनकी भर्ती की प्रक्रिया की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है, विशेष रूप से एक उम्मीदवार द्वारा, जिसने पहले ही अपनी उम्मीदवारी की पेशकश की हो एवं स्वयं चयन की प्रक्रिया में भाग लिया हो। जैसे ही वह या कोई उम्मीदवारी किसी विज्ञापन का जबाव देता है, वैसे ही वह चयन की प्रक्रिया में भाग ले लेता है तथा उस पर विवन्ध का सिद्धान्त स्वतः लागू हो जाएगा। एक असफल उम्मीदवार के रूप में निर्धारित होने के बाद, वह इसके बाद भर्ती प्रक्रिया शैक्षिक योग्यता के मापदंड या इस आधार पर कि योग्यता शैक्षिक योग्यता की या उसकी व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए ताकि विचार के दाये या क्षेत्र में आ सके, इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। यह सिद्धान्त सबसे अधिक माना जाने वाला सिद्धान्त है, क्योंकि इस तथ्य के कारण कि यदि उम्मीदवार को विज्ञापन की शर्तों से कोई आपत्ति है, तो उसे चयन में भाग लेने से पहले ही इसे चुनौती देनी चाहिए, यह वहीं है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा (2008 ) 4 सर्वोच्च न्यायालय के मामलों 171 धनंजय मलिक और अन्य बनाम उत्तरांचल राज्य और अन्य में रिपोर्ट किये गये निर्णय में निर्धारित किया गया है। प्रासंगिक पैराग्राफ संख्या 7 और 8 इस प्रकार हैः—

''7. यह विवादित नहीं है कि रिट याचिकाकर्ताओं उत्तरदाताओं ने पूरी तरह से यह जानते हुए चयन प्रक्रिया में भाग लिया कि विज्ञापन में शैक्षिक योग्यता स्पष्ट रूप से बी0पी0एड0 या शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा के साथ स्नातक के रूप में इंगित की गई थी। चयन प्रक्रिया में असफलतापूर्ण भागीदारी करने के कारण अन्य बातों के साथ साथ उन्हें किसी चयन मानदंड को चुनौती देने से इस आधार पर रोक दिया जाता है कि अपेक्षित शैक्षिक योग्यताओं के संबंध में विज्ञापन और चयन के नियमों के विपरीत है।

''8. मदन लाल बनाम जम्मू और कश्मीर राजय के मामले में, इस न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया कि जब याचिकाकर्ता आयोग के संबंधित सदस्यों द्वारा आयोजित मौखिक साक्षात्कार में उपस्थित हुए, जिन्होंने याचिकाकर्ताओं के साथ साथ संबंधित उत्तरदाता का साक्षात्कार किया, तो याचिकाकर्ताओं ने उक्त मौखिक साक्षात्कार में स्वयं को चयनित करने का अवसर प्राप्त किया। मात्र केवल उन्होंने रिट याचिकाएं इसलिए दायर की हैं क्योंकि वे लिखित परीक्षा और मौखिक साक्षात्कार दोनों में अपने संयुक्त प्रदश्रन के परिणामस्वरूप सफल नहीं हुए उन्होंने रिट याचिकाएं दायर की हैं। इस न्यायालय ने आगे बताया कि यदि कोई उम्मीदवार एक सुनियोजित मौका प्राप्त करता हे और साक्षात्कार में उपस्थित होता है, तो केवल इसलिए कि साक्षात्कार का परिणाम उसे पंसद नहीं है, वह पलट नहीं सकता है और बाद में यह तर्क नहीं दे सकता है कि साक्षात्कार की आदेशिका अनुचित थी या चयन समिति का उचित रूप से गठन नहीं किया गया था।''

11. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा (2008) सर्वोच्च न्यायालय के 4 मामलों 619 संदानंद हालो और अन्य बनाम मुमताज अली शेख और अन्य मे दिये गये एक निर्णय में तय किये गये मामलों के एक समूह में एक समान सिद्धान्त पर फिर से विचार किया गया। उक्त निर्णय में भी इसने फिर से लगभग इसी तरह की आदेशिका को दोहराया है कि चयन आदेशिका को चुनौती देना, अनियमित और निर्धारित नियमों या आदेशिका के विपरीत होना, जैसा कि एक उम्मीदवार द्वारा प्रत्याशित है, यह एक असफल उम्मीदवार द्वारा और उस द्वारा से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि असफल उम्मीदवार चयन आदेशिका में भाग लेने के बाद, चयन की निष्पक्षता का परीक्षण करने वाली अदालत द्वारा तथ्यात्मक पहलुओं पर भटकने और मछली पकड़ने की जांच की आदेशिका की परिकल्पना कानून के तहत नहीं की गई है। यह वही है जो उक्त निर्णय के पैरा 35 और 59 में निर्धारित किया गया है, जो यहां अपेक्षित हैः–

''35. इसी प्रकार, हम इस शिकायत से भी प्रभावित नहीं है कि सरकार द्वारा दिनांक 16.11.2004 के पत्र द्वारा जिलेवार प्रतिबन्धों को हटा दिया गया था, इस तथ्य के अलावा कि दोनो न्यायालयों ने चयन आदेशिका के खिलाफ इस पहलू पर प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की है। हमारी यह राय है कि यह अपने आप में चयन आदेशिका में दोष खोजने का कारण नहीं हो सकता है, फिर से इस आधार पर कि याचिकाकर्ता यह दिखाने में समर्थ नहीं थे कि 16.11.2004 को सरकार द्वारा उठाए गये ऐसे कदम को हटाने के कारण क्या पक्षपातपूर्ण पैदा हुआ था। दूसरी ओर हमारी स्पष्ट राय है कि सरकार ने जिलेवार प्रतिबंधों को हटाकर चयन आदेशिका को व्यापक बना दिया है। जहां तक इस शिकायत का संबंध है कि व्यक्तिगत साक्षात्कार या मौखिक साक्षात्कार के लिए 50 अंक आवंटित किये गये थे, विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ–साथ खण्ड पीठ पाया है कि विशिष्ट परिस्थितियों में इसका कोई परिणाम नहीं था। हम भी इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं क्योकि हमारे सामने इस मुद्दे पर कोई बहस नहीं दिया गया था। इसलिए उस शिकायत को भी छोड़ना होगा। इस निर्णय के पहले भाग में हम पहले ही नोट कर चुके है कि इन 50 अंकों को छह कारकों पर भी वितरित किया गया था और प्रत्येक कारक के अलग–अलग अंक थे। मौखिक परीक्षा, शैक्षिक योग्यता, चतुराई, पढ़ने, लिखने में सामान्य वातावरण, अतिरिक्त योग्यता, खेल और मार्शल आर्ट में प्रवीणता जैसे कारकों पर अंकों के वितरण के बाद, केवल 20 अंकों के साथ बची है, जो हमारी राय में काफी उचित है इसलिए, हम वाइवा वॉयस के लिए 50 अंकों के साथ आवंटन के कारण कुछ भी गलत नहीं पाते हैं। यह इस तथ्य के अलावा है कि असफल उम्मीदवार, साक्षात्कार आदेशिका में भाग लेने के बाद वापस नहीं आ सकते थे और सिस्टम में नाम नहीं बुला सकते थे।

''59. यह भी एक स्थिर स्थिति है कि सफल उम्मीदवार पीछे मुड़कर चयन आदेशिका पर चुनौती चुनौती नहीं कर सकते हैं। बेशक इस सामान्य नियम के लिए इस न्यायालय द्वारा बनाये गए अपवाद हैं। इस स्थिति को इस न्यायालय द्वारा भारत संघ बनाम अन्य विनोद कुमार और अन्य मामलों में अपने नवीनतम निर्णय को दोहराया गया था। जहॉ हम में से एक (जे. सिन्हा) एक पार्टी थी। यह एक ऐसा मामला था जहॉ अनारक्षित उम्मीदवारों और अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवारों के लिए अलग–अलग कट ऑफ अंक तय किये गये थे। इस न्यायालय ने अपने निर्णय के पैरा 10 में कार्यवाही का समर्थन किया और एक निष्कर्ष दिया कि नियोक्ता को कट ऑफ अंक तय करने की शक्ति थी, जो निर्विवादित था एवं अस्वीकार्य नहीं था। आगे कथन किया कि कट ऑफ अंक तर्क संगत आधार पर तय किये गये थे और इसलिए कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता था। न्यायालय ने ओम प्रकाश शुक्ला बनाम अखिलेश कुमार शुक्ला व अन्य के मामले का उल्लेख भी किया है। यहॉ यह विशेष रूप से अभिनिर्धारित  किया गया है कि जब कोई उम्मीदवार बिना विरोध के परीक्षा में उपस्थित होता है और बाद में परीक्षा में सफल नहीं हो पाता है तब इस तरह की परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने का सवाल ही नहीं उठता। न्यायालय ने निर्णय के पैरा 34 में आगे कथन किया है कि–

''19.....'34. इस प्रकार इसमें कोई संदेह नहीं है कि आचरण द्वारा किसी भी अवरोध का प्रश्न प्रासंगिक तथ्यों में उत्पन्न नहीं होगा, लेकिन इस सम्बन्ध में कानून अच्छी तरह से स्थापित प्रतीत होता है कि यदि कोई उम्मीदवार साक्षात्कार में उपस्थित होता है और उसमें भाग लेता है, तो केवल इसलिए कि साक्षात्कार का परिणाम उसके लिए सकारात्मक नहीं है, वह पीछे नहीं मुड़ सकता था बाद में यह तर्क नहीं दे सकता कि साक्षात्कार की प्रक्रिया भेदभावपूर्ण थी या उसमें कोई कमी थी।

पैरा 20 में इस न्यायालय द्वारा कहा गया कि उपरोक्त नियम के कुछ अपवाद हैं। हालांकि न्यायालय ने उन अपवादों पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वे महत्वपूर्ण नहीं थे।

12. यह एक सुस्थापित विधि है और विशेष रूप से जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है कि एक बार जब किसी उम्मीदवार ने विज्ञापन का जवाब दिया था और एक साथ नियुक्ति के लिए विचार करने के लिए उम्मीदवारी बढ़ा दी थी, तो बाद के चरण में वह बाद में वापस नहीं आ सकता है और न ही विज्ञापन की शर्तों को इस आधार पर चुनौती दे सकता है कि यह मनमाना है। तब जबकि उन्होंने अपनी उम्मीदवारी एक बार कर दी हो। इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एन0टी0 बेविन कट्टी व अन्य बनाम कर्नाटक लोक सेवा आयोग व अन्य ए.आई.आर. 1990 एस.सी. 1233 दिये गये निर्णय का हवाला दिया जा सकता है, जिसका पैरा 11 निम्न प्रकार है–

''11. यहॉ यह सवाल का एक अन्य पहलू भी है। जहॉ पदों की एक श्रेणी में सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित करने का विज्ञापन जारी किया जाता है व विज्ञापन में स्पष्ट रूप से कहा किया है कि चयन मौजूदा नियमों या सरकाररी आदेशों के अनुसार किया जाएगा और यदि यह आगे विभिन्न श्रेणियों के पक्ष में आरक्षण की सीमा को इंगित करता है, तो ऐसे मामले में उम्मीदवारों का चयन तत्कालीन मौजूदा नियमों और सरकारी आदेशों के अनुसार किया जाना चाहिए, जो उम्मीदवार आवेदन करते है और लिखित या मौखिक परीक्षा से गुजरते हैं, वे विज्ञापन में निहित नियमों और शर्तों के अनुसार चयन के लिए विचार किए जाने के लिए निहित अधिकार प्राप्त करते हैं, जब तक कि विज्ञापन स्वयं एक विपरीत इरादे का संकेत नहीं देता है। आम तौर पर, एक उम्मीदवार को विज्ञापन में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार विचार किये जाने का अधिकार है, क्योंकि विज्ञान के प्रकाशन की तारीख पर उसका अधिकार स्पष्ट हो जाता है, हालांकि इस मामले में उसका कोई आत्यन्तिक

अधिकार नहीं है। यदि चयन विचाराधीनता रहने के दौरान भर्ती नियमों को पूर्वव्यापी रूप से संशोधित किया जाता है, तो उस घटना में चयन निम्नलिखित के अनुसार किया जाना चाहिए–

संधोधित नियम। नियमों का पिछले समय से प्रभाव है या नहीं, यह मुख्य रूप से नियमों की भाषा और विधायी इरादे का पता लगाने के लिए इसके निर्माण पर निर्भर करता है। विधायी आशय का निर्धारण या तो व्यक्त प्रावधान द्वारा या आवश्यक निहितार्थ द्वारा किया जाता है, यदि संशोधित नियम प्रकृति में पिछले समय से नहीं है तो चयन को उन नियमों और आदेशों के अनुसार विनियमित किया जाना चाहिए जो विज्ञापन की तारीख को लागू थे। इस प्रश्न का निर्धारण काफी हद तक विज्ञापन में निर्धारित नियमों और शर्तो और प्रासंगिक नियमों और आदेशों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है। कोई भ्रम न हो, हम यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि विज्ञापन के अनुसार में किसी पद के लिए आवेदन करने पर कोई उम्मीदवार चयन के लिए कोई निहित अधिकार प्राप्त नहीं करता है। लेकिन यदि वह पात्र है और अन्यथा प्रासंगिक नियमों और विज्ञापन में निहित शर्तो के अनुसार योग्य है, तो वह नियमें के अनुसार चयन के लिए विचार करने के लिए एक निहित अधिकार प्राप्त करता है, क्योंकि वे विज्ञापन की तारीख पर मौजूद थे। उन्हें चयन विचाराधीनता रहने के दौरान नियमों के संशोधन पर उस सीमित अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता हैं जब तक कि संशोधित नियम पिछले समय से प्रकृति के न हों।''

13. भेदभाव के बारे में याचिकाकर्ताओं द्वारा दी गई याचिका का सिद्ध उसी के अनुसार दिया जाता है। जहां तक याचिकाकर्ताओं ने संशोधन को चुनौती देने की अनुमति देने की स्वतन्त्रता मांगी है, मेरा विचार है कि इस स्तर पर जब विज्ञापन के अनुसरण में चयन की आदेशिका पहले ही समाप्त हो चुकी है, और काउंसलिंग के निष्कर्ष के परिणामस्वरूप जो 02.12.2021 को आयोजित की गई थी और विशेष रूप से याचिकाकर्ताआं ने स्वयं इसका जवाब दिया था, वे इस स्तर पर, एक बार विज्ञापन के नियमों और शर्तो को स्वीकार करने के बाद वापस नहीं आ सकते है और विज्ञापन में निहित शर्तों को चुनौती देने की स्वतन्त्रा की मांग कर सकते हैं, जब उन्होंने चुनौती देने के अपने अधिकारों को त्याग दिया है, पहली बार जब याचिकाकर्ताओं ने 30.12.2021 को इस न्यायालय के समक्ष इसे स्थापित करके रिट याचिका को प्राथमिकता दी है।

14. उर्पयुक्त कारणों से, मैं रिट याचिका में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं हूं, रिट याचिका विफल हो जाती है और तदनुसार खारिज की जाती है, लेकिन हालांकि यह एक स्पष्टीकरण के साथ होगा कि रिट याचिका के खारिज करने से याचिकाकर्ताओं को इस आधार पर रोका नहीं जाएगा, कि यदि वे पहले प्रकाशित चयन सूची के अनुसार नियमों के तहत प्रदान की गई प्राथमिकताओं की श्रेणी में आते हैं, उन्हें 2018 के संशोधित नियमों के तहत प्रदान किये गये मानदंड के अनुसार नियुक्ति की पेशकश की जा सकती है।

तदनुसार, रिट याचिका में योग्यता का अभाव है और इसे खारिज कर दिया जाता है।

**(शरद कुमार शर्मा, ज.।)**

**04.01.2022**